

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील संख्या 21 वर्ष 2019

[एस0 एल0 पी0 (सी) सं0 26645 वर्ष 2015 से उत्पन्न]

झारखण्ड राज्य

..... अपीलार्थी

बनाम्

सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

के साथ

सिविल अपील संख्या 22 वर्ष 2019

[एस0 एल0 पी0 (सी) सं0 24684 वर्ष 2015 से उत्पन्न]

निर्णय

इन्दू मल्होत्रा, न्याय0

अनुमति प्रदान की गई।

1. वर्तमान सिविल अपीलें एस0 एल0 पी0 (सी) संख्याएँ 26645 और 24684 वर्ष 2015 से उत्पन्न होती हैं जो झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0 पी0 (सी) संख्या 2081 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 19 मई, 2015 के निर्णय को चुनौती देने के लिये दाखिल की गई है। यह समादेश याचिका, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा दिनांक 07.04.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिसमें सी0 पी0 सी0 के आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 अन्तर्गत स्वत्व वाद संख्या 45/2015 में एक आवेदन पर अंतरिम राहत देने से इन्कार किया गया और जिला न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.04.2015 के आदेश को भी चुनौती दी गई है।

2. इस वाद का संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठ भूमि नीचे दिया जा रहा है :

2.1. समादेश याचिकाकर्ताओं/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 इसमें, उनकी माँ स्वर्गीय श्रीमती श्याल देवी ने राजू गौड़ और शत्रुघ्न गौड़ से दो अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.04.1958 के माध्यम से 3.61 एकड़ जमीन (वाद सम्पत्ति) खरीदी थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अनुसार, श्रीमती श्याल देवी ने वाद संपत्ति के एक भाग पर संरचना खड़ी की थी एवं

बाकी पर खेती कर रही थी। उक्त भूमि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित भूमि के बगल में स्थित थी।

2.2. श्रीमती श्याल देवी ने 1992 में अतिरिक्त मुंसिफ के यहाँ स्वत्व वाद संख्या 153/1992 दायर की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी 1990 से उनके वाद सम्पत्ति पर कब्जे में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे।

अतिरिक्त मुंसिफ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/27. 02.1999 के द्वारा वाद का फैसला वादी-स्व० श्याल देवी के पक्ष में दिया और 1958 से उनके कब्जे की पुष्टि की। श्रीमती श्याल देवी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल देने से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को रोक दिया गया। निर्णय में निहित अतिरिक्त मुंसिफ के मन्तव्य का प्रासंगिक सार नीचे दिया जा रहा है :

“11. उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, मैं यह पाता हूँ कि वादी [श्रीमती श्याल देवी] ने वाद भूमि पर 1958 से अपने कब्जे को प्रमाणित किया है और इस प्रकार से ये वाद-पद वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय किया गया।

2.3. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिनांक 18/27.02.01999 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देने हेतु अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के यहाँ स्वत्व अपील संख्या 20/1999 दायर किया।

स्वत्व अपील संख्या 20/1999 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा कब्जे के आधार पर खारिज कर दिया गया। परन्तु जिला न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वादी अपना टाइटल स्थापित करने में विफल रही है और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, वादी श्रीमती श्याल देवी के विरुद्ध, जमीन पर स्वामित्व की उद्घोषणा एवं उनके निष्कासन के लिए वाद दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

2.4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.08.2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 17509/2005 दायर किया जो वर्तमान में निर्णय हेतु लंबित है।

2.5. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि श्याल देवी ने इस मन्तव्य को चुनौती नहीं दी कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपने टाइटल को

स्थापित करने में विफल रहीं। इसलिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का यह मन्तव्य अंतिम रूप प्राप्त कर लिया।

2.6. द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने खाता संख्या 24 (प्लॉट संख्याएँ 2650, 2652, 2656 और 2657) में शामिल जमशेदपुर में भूमि, जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के नाम दर्ज है, पर विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण हेतु अपने पत्र दिनांक 13.10.2012 के द्वारा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की है।

परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 04.03.2015 के द्वारा सूचित किया कि उसे उपरोक्त भूमि पर विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण हेतु हस्तानांतरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

2.7. उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, श्रीमती श्याल देवी का देहांत दिनांक 24.02.2014 को हो गया और वह अपने पीछे तीन पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, अपने विधि प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गई।

2.8. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1), जमशेदपुर के समक्ष स्थाई निषेधता हेतु स्वत्व वाद संख्या 45/2015 दायर किया ताकि अपीलार्थी-महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684, वर्ष 2015 में] को वाद सम्पत्ति में उनके कथित कब्जे पर हस्तक्षेप से रोका जा सके और इसके साथ ही अस्थाई निषेधता हेतु एक आवेदन भी दिया।

2.9. सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1) ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2015 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अस्थाई निषेधता हेतु दिए आवेदन को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने वाद सम्पत्ति के विशिष्ट क्षेत्र/भाग का वर्णन करने में विफल रहे हैं जो उनके कथित कब्जे में थी, जिस पर झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1) ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, प्रथम दृष्ट्या वाद बनाने में विफल रहे हैं और यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी अपूर्णीय क्षति नहीं होगी, जिसकी भरपाई पैसे से न की जा सके।

2.10. दिनांक 07.04.2015 के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने जिला न्यायाधीश-III-सह-एम0 ए0 सी0 टी0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष सी0 पी0 सी0 के आदेश XLIII नियम 1 (आर) के अन्तर्गत अपील दायर की।

अपील को दिनांक 21.04.2015 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके तहत जिला न्यायाधीश ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1) द्वारा दिनांक 07.04.2015 को पारित आदेश की पुष्टि कर दी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, वाद पत्र में, वाद सम्पत्ति का सीमांकन करने में असफल रहे हैं जहाँ उनके भूमि पर निर्माण गतिविधि हो रही थी। वादी ने पुराने खतियान या नए खतियान को अभिलेख में नहीं रखा है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3, खाता संख्या 19 के अन्तर्गत 1937 के खतियान में 3.61 एकड़ दर्ज भूमि के सम्बन्ध में कब्जे का दावा कर रहे थे (प्लॉट संख्याएँ 3737, 3733, 3710, 3741, 3749, 3751, 3752, 3753, 3754 और 3755), खाता संख्या 21 (प्लॉट संख्या 3742), खाता

संख्या 33 [प्लॉट संख्याएँ 3718, नई प्लॉट संख्याएँ 2657, 2658, 2659, 2660; 2650 का एक भाग, 2626 (पी0), 2656 (पी0), 2653 (पी0), 2655 (पी0) थाना संख्या 1198 और 1151] उक्त भूमि मौजा बारीडीह और बारा, थाना—सिद्धगोड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में अवस्थित है, जो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र (1995—1996) के अंतिम रूप से प्रकाशित रिकॉर्ड ऑफ राइट के खतियान संख्या 24 में है।

दूसरी ओर, राज्य विद्युत बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा है कि खाता संख्या 24 (प्लॉट संख्याएँ 2650, 2652, 2656 और 2657) में दर्ज 1.47 एकड़ भूमि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नाम पर अनाबाद भूमि के रूप में दर्ज है। बोर्ड ने ट्रेस नक्शा और दिनांक 4 मार्च, 2015 को परिवहन आयुक्त द्वारा उपायुक्त, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर को प्रेषित पत्र पर विश्वास जताया है जिसमें झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को जमीन उपलब्ध कराया गया है।

जिला न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी ने विवादित सम्पत्ति पर अपने कथित कब्जे की पुष्टि करने के लिए कोई किराया रसीद या नगरपालिका रसीद प्रस्तुत नहीं किया है। जिला

न्यायालय ने यह पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है कि उसने अपीलकर्ता—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 संख्या 24684 वर्ष 2015] द्वारा वाद सम्पत्ति पर सीमा दीवार का निर्माण एवं खुदाई के विरुद्ध निषेधता हेतु उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर किया था। समादेश याचिका को दिनांक 24.04.2015 को वापस ले लिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष को दर्शाता है। निषेधता देना एक विवेकाधीन राहत है; प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को उसका हकदार नहीं पाया गया था।

2.11. जिला न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्वत्व वाद संख्या 45/2015 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन—1) द्वारा दिनांक 07.04.2015 को पारित आदेश एवं विविध अपील संख्या 5/2015 में जिला न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.04.2015 के आदेश को रद्द करने हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय में उत्प्रेषण समादेश याचिका डब्ल्यू0 पी0 (सी) 2081/2015 दायर किया।

2.12. विद्युत बोर्ड ने विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण की छायाचित्र के साथ एक प्रति शपथ पत्र दायर किया। यह निवेदित किया गया था कि विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आगे यह कहा गया कि निषेधता प्रदान करने से सार्वजनिक हित और स्थानीय आबादी को रियायती दर पर विद्युत प्रदान करने की योजना प्रभावित होगी।

2.13. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.05.2015 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा दायर डब्ल्यू0 पी0 (सी) संख्या 2081 वर्ष 2015 को अनुज्ञात किया और पक्षों को वाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015 में] विवादित वाद सम्पत्ति को छोड़ कर किसी अन्य भूमि पर निर्माण करने के लिए स्वतंत्र था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि निम्न न्यायालय का मन्तव्य कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में कोई प्रथम

दृष्ट्या वाद नहीं बनता है, त्रुटीपूर्ण था, यह इस दृष्टिकोण से कि कानूनी विवाद के पिछले दौर में स्वत्व वाद संख्या 153/1992 एवं स्वत्व अपील संख्या 20/1999 में न्याय मन्तव्य उनके पक्ष में था।

एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि निम्न न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा अस्थाई निषेधता हेतु दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 (वादी) विवादित वाद संपत्ति का विशिष्ट रूप से वर्णन करने में विफल रहे हैं यद्यपि कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विवादित वाद संपत्ति के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

सुविधा के संतुलन पर, एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वाद में अपीलकर्ता—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, [एस0 एल0 पी0 संख्या 24684 वर्ष 2015 में] ने विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण पूर्ण कर लिया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 मुआवजा प्राप्त करने हेतु बाध्य हैं यद्यपि कि स्वत्व वाद संख्या 45/2015 में उनके पक्ष में डिक्री दी गई थी।

एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों में केवल बिजली के खंभे को उठाने का संकेत दिया गया है एवं विवादित वाद भूमि पर कोई अन्य निर्माण नहीं किया गया है।

3. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 19.05.2015 को पारित आदेश से व्यथित होकर, झारखण्ड राज्य ने वर्तमान एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 26645 वर्ष 2015 दायर किया एवं महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015 दायर किया।

3.1. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.2015 के अंतरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015] को आपूर्ति लाईन खिंचने हेतु स्वतंत्रता दी।

3.2. अपीलार्थी—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015] ने उपायुक्त, जमशेदपुर के समक्ष वाद सम्पत्ति का लागत, जैसा अंचल अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा मूल्यांकन किया गया है, जमा करने के पश्चात् आई0 ए0 संख्याएँ 91857 और

91859/2018 में विद्युत उप-स्टेशन को सक्रिय करने की अनुमति चाही है।

3.3. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण पूर्ण किया गया, जिसकी क्षमता 33/11 के0 वी0 है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति मण्डल, जमशेदपुर के अनुसार, आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1 लाख लोग विद्युत की आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और इसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्रों में अवस्थित अन्य विद्युत उप-स्टेशनों पर भार कम होगा।

4. दोनों विशेष अवकाश याचिकाओं में अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 का प्रतिनिधित्व श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरीय अधिवक्ता ने किया, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का प्रतिनिधित्व श्री सतपाल सिंह, अधिवक्ता ने किया।

4.1. अपीलकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता, अन्य बातों के साथ, निवेदन करते हैं कि समादेश याचिका संख्या 2081 वर्ष 2015, जो उत्प्रेषण के समादेश चाहने हेतु किया गया था, पोषणीय नहीं थी क्योंकि यह व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर किया गया

था। विद्वान अधिवक्ता ने तीन न्यायाधीश के खण्डपीठ के निर्णय राधे श्याम बनाम् छबि नाथ और अन्य पर विश्वास जताया।

4.2. गुण के आधार पर, यह निवेदित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का विवादित वाद सम्पत्ति पर स्वत्वाधिकार नहीं था। अधिवक्ता ने स्वत्व अपील संख्या 20/1999 में दिनांक 29.09.2005 को पारित निर्णय के मन्तव्य पर विश्वास किया जहाँ अतिरिक्त न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माँ विवादित वाद सम्पत्ति के संबंध में अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने में विफल रही है। उपरोक्त मन्तव्य ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया क्योंकि स्व० श्रीमती श्याल देवी, या कानूनी वारिस और उत्तराधिकारी जैसे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने इस मन्तव्य को आगे चुनौती नहीं दी थी।

4.3. यह भी कहा गया कि झारखण्ड राज्य वाद सम्पत्ति का स्वामी था, जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नाम पर वाद सम्पत्ति के राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है।

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि टिस्को ने 16.529 एकड़ जमीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को हस्तांतरित की

थी। यह सम्पत्ति विगत सर्वे (खतियान) में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नाम पर दर्ज की गई थी। विद्युत उप-स्टेशन निर्माण खाता संख्या 24 (प्लॉट संख्याएँ 2650, 2652, 2656 और 2657) के रूप में दर्ज 1.47 एकड़ भूमि पर किया गया है जिसे परिवहन विभाग, राँची, झारखण्ड ने अपने पत्र दिनांक 04.03.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया था।

4.4. 14.12.2015 के अंतरिम आदेश के अनुसार, विद्युत उप-स्टेशन का पूर्ण निर्माण किया गया था और यह आस-पास के रहने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को विद्युत प्रदान करेगा।

4.5. यह भी निवेदन किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यू0 पी0 (सी) संख्या 2081 वर्ष 2015 को अनुज्ञात करने में गलती की है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 प्रथम दृष्टया वाद को अपने पक्ष में बनाने में असफल रहे हैं। वे वाद पत्र में उनके कथित अधिकार क्षेत्र, जिसमें विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था, उसका सीमांकन करने में असफल रह चुके थे।

एक लाख से अधिक लोगों को विद्युत प्रदान करने के दृष्टिकोण से, सुविधा का संतुलन, अपीलकर्ता-विद्युत बोर्ड के पक्ष में था। इसके अलावा, कोई भी अपूर्णीय क्षति या नुकसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को नहीं होगी क्योंकि उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 67 के अन्तर्गत हमेशा पर्याप्त मुआवजा दिया जा सकता है, यदि वे हकदार हैं।

4.6. दूसरी ओर, अधिवक्ता सतपाल सिंह ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के मन्तव्य का समर्थन किया है।

यह निवेदित किया गया था कि वाद के विवादित सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 में निहित है चूँकि स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित वाद-पद को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माँ के पक्ष में अतिरिक्त मुंसिफ द्वारा दिनांक 18.02.1999 को निर्णित किया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अतिरिक्त मुंसिफ के निर्णय के विरुद्ध स्वत्व अपील संख्या 20/1999 दायर किया था जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.08.2005 के निर्णय से खारिज कर दिया गया था। यद्यपि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 29.08.2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील संख्या

17509/2005 दायर किया था, यह उच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्धारण हेतु लंबित था।

विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि केवल द्वितीय अपील संख्या 17059/2005 के लंबित रहने से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अधिकार नहीं होता है कि वह अपीलार्थी—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सिविल) संख्या 24684 वर्ष 2005 में] को विवादित वाद भूमि हस्तांतरित कर सके।

अपीलार्थी, राज्य विद्युत बोर्ड विवादित वाद सम्पत्ति पर अपना स्वत्वाधिकार या कब्जा स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि इसने परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक 04.03.2015 और एक नक्शे को छोड़ कर कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया था।

विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय मेघमाला और अन्य बनाम् जी0 नरसिम्हा रेड्डी और अन्य तथा रामे गोवडा (मृत) एल0 आर्स0 बनाम् एम0 वरदप्पा नायडू (मृत) एल0 आर्स0 और एक अन्य पर भरोसा किया और निवेदन किया है कि जो उसके आवासित कब्जे में है, यद्यपि वह अतिचारी है, उसे भी जबरन बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का

अधिकार है, और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर ही बेदखल किया जा सकता है।

5. वर्तमान सिविल अपील में विचार करने के लिए जो सीमित वाद-पद है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश, स्वत्व वाद संख्या 45/2015 के सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1), जमशेदपुर के न्यायालय में लंबित रहने के दौरान पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश न्यायोचित था।

6. चर्चा एवं विश्लेषण

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ता को विस्तार से सुना, वर्तमान सिविल अपीलों में दायर लिखित याचनाओं एवं दलीलों का अध्ययन किया।

6.1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रथम याचना के सम्बन्ध में कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3/वादी के द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के द्वारा पारित दिनांक 07.04.2015 के आदेश एवं जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.04.2015 के आदेश को खारिज करने हेतु उत्प्रेषण समादेश याचिका दायर किया गया था जो तीन न्यायाधीश के द्वारा राधे श्याम बनाम् छबि नाथ और अन्य में निर्णय की दृष्टिकोण से पोषणीय

नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा राधे श्याम बनाम् छबि नाथ और अन्य (ऊपर) में अभिकथित विधि पर कोई विवाद नहीं हो सकता, परन्तु वर्तमान वाद के तथ्यों पर, उपरोक्त आधार पर हम दो कारणों से उच्च न्यायालय के निर्णय को परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, प्रथम, उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगण, जो समादेश याचिका में प्रत्यर्थीगण थे, ने भारत के संविधान की अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत समादेश याचिका की पोषणीयता को चुनौती नहीं दी है। द्वितीय, यदि समादेश याचिका के पोषणीयता के सम्बन्ध में उपरोक्त आपत्ति अपीलकर्ता उठाये होते, तो वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिये संविधान की धारा 227 के अन्तर्गत काउज टाइटल में संशोधन का अवसर खुला रहता और इस प्रकार से धारा 227 के अन्तर्गत समादेश याचिका स्पष्ट रूप से पोषणीय होता।

6.2. व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश संख्या XXXIX, नियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इन्कार करने संबंधी आदेश को चुनौती देने हेतु अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत दायर समादेश याचिका अच्छी तरह पोषणीय हो सकता था, और इस सम्बन्ध में किसी भी आपत्ति को उठाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा काउज टाइटल में संशोधन के

अवसर से उन्हें वंचित किया गया, हम उपरोक्त आधार पर उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के बदले में, प्रतिवाद की जाँच हेतु गुणागुण के आधार पर आगे बढ़ते हैं।

6.3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया यद्यपि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 किसी भी दस्तावेजी सबूत को प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जो वाद संपत्ति पर उनके स्वत्वाधिकार को स्थापित कर सके।

कानूनी विवाद के पूर्व दौर में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्वत्व अपील संख्या 20/1999 में अपने आदेश दिनांक 29.08.2005 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती श्याल देवी, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माँ, स्वत्व में पूर्ववर्ती, वाद सम्पत्ति में अपने स्वत्वाधिकार को स्थापित करने में विफल रही थी। उपरोक्त मन्तव्य को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। उपरोक्त मन्तव्य को अंतिम रूप प्राप्त हो गया। मामले के इस दृष्टिकोण से, प्रत्यर्थी प्रथम दृष्टया मामला बनाने में असफल रहे हैं, जो अंतरिम निषेधता प्रदान करने के लिए न्यायोचित होता।

6.4. इसके अलावा, वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उनकी भूमि पर विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 उस विशिष्ट क्षेत्र का वर्णन करने में विफल रहे हैं जो उनके कथित कब्जे में था एवं जिस पर विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था।

6.5. सुविधा का संतुलन पूरी तरह से अपीलार्थी-महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015 में] के पक्ष में है चूँकि सम्पूर्ण विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, और अन्य बातों के साथ विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत की चार फीडरों, जैसे भुईयाडीह (बी0 एच0 यू0), बारीडीह (बी0 आर0 डी0), विद्यापति नगर (वी0 पी0 एन0) प्रारम्भ होने के स्तर पर है। लगभग एक लाख लोगों को विद्युत आपूर्ति होने का अनुमान है। बोर्ड विद्युत संचरण एवं आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 67 के अन्तर्गत वैधानिक रूप से सशक्त है।

6.6. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 खाली भूमि पर उनके कब्जे से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, उन्हें कोई भी अनुचित

कठिनाई या पूर्वाग्रह नहीं होगा, ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता—महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड [एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 24684 वर्ष 2015 में] को विद्युत उप-स्टेशन को सक्रिय करने हेतु आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है।

6.7. ऐसी स्थिति में जब प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, विद्युत उप-स्टेशन के लिए उपयोग की गई भूमि के किसी भाग पर अपना स्वत्वाधिकार एवं अधिकार स्थापित कर सकते हैं, वे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 67 (3) और/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार किसी भी क्षति, नुकसान या असुविधा के लिए मुआवजे के हकदार होंगे।

6.8. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार, विद्युत उप-स्टेशन सभी तरह से पूर्ण है और सक्रिय होने हेतु तैयार है। स्थानीय आबादी को विद्युत मुहैया कराने का सार्वजनिक हित प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के हित से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, सिविल जज (जूनियर डिवीजन-1) एवं जिला न्यायाधीश का स्वत्व वाद संख्या

45/2015 में अस्थाई निषेधता देने से इन्कार करने का फैसला न्यायोचित था, और उसे पुनः स्थापित किया गया।

7. उपरोक्त कारणों के दृष्टिकोण से, सिविल अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं और झारखण्ड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा समादेश याचिका संख्या 2081 वर्ष 2015 में दिनांक 19 मई, 2005 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है, वाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वत्व वाद संख्या 45/2015 के निष्पादन तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आक्षेपित निर्णय को हटाया जाता है।

इस निर्णय में दिया गया मन्तव्य, प्रथम दृष्टया अंतरिम चरण के प्रकृति का है और मुकदमा के विचारण को प्रभावित नहीं करेगा।

तदनुसार लंबित आवेदनों को निष्ठारित किया जाता है।

तदनुसार आदेशित।

..... न्याय0 अशोक भूषण

..... न्याय0 इंदू मल्होत्रा

नई दिल्ली

3 जनवरी, 2019

नि-स्वीकरण- “यह कि हिन्दी भाषा में अनुदित निर्णय वादियों के सीमित उपयोग के लिए एवं अपनी भाषा में समझने के लिए है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सही माना जाएगा।”